

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1684.72	190.00	1874.72	1649.62	243.15	1892.77	1798.45	306.27	2104.72	
पूंजी	24.28	...	24.28	15.38	...	15.38	10.55	...	10.55	
जोड़	1709.00	190.00	1899.00	1665.00	243.15	1908.15	1809.00	306.27	2115.27	
सांख्यिकी										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	9.48	9.48	...	11.79	11.79	...	14.55	14.55
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी										
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण	3454	...	108.84	108.84	...	140.37	140.37	...	177.81	177.81
3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	3454	46.66	13.16	59.82	34.93	16.59	51.52	64.66	20.64	85.30
4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	3454	22.50	51.96	74.46	16.88	66.30	83.18	27.00	83.34	110.34
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3454	3.15	...	3.15	2.99	...	2.99	3.60	...	3.60
6. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी										
6.01 सामान्य घटक	3454	2.50	3.82	6.32	1.53	4.77	6.30	1.95	5.91	7.86
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	66.32	...	66.32
	3602	8.02	...	8.02
	5475	17.28	...	17.28	15.38	...	15.38	10.55	...	10.55
जोड़	19.79	3.82	23.61	16.92	4.77	21.69	86.84	5.91	92.75	
6.02 ईएपी घटक	3601	16.00	...	16.00	4.75	...	4.75	24.00	...	24.00
	3602	1.00	...	1.00	0.03	...	0.03
	5475	7.00	...	7.00
जोड़	24.00	...	24.00	4.78	...	4.78	24.00	...	24.00	
जोड़	43.79	3.82	47.61	21.70	4.77	26.47	110.84	5.91	116.75	
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	12.90	...	12.90	8.50	...	8.50	22.90	...	22.90
	4552
जोड़	12.90	...	12.90	8.50	...	8.50	22.90	...	22.90	
जोड़ - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	129.00	177.78	306.78	85.00	228.03	313.03	229.00	287.70	516.70	
जोड़ - सांख्यिकी	129.00	187.26	316.26	85.00	239.82	324.82	229.00	302.25	531.25	
कार्यक्रम कार्यान्वयन										
8. सचिवालय-सामान्य सेवाएं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता-विशेष केन्द्रीय सहायता	2052	...	2.74	2.74	...	3.33	3.33	...	4.02	4.02
9. संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना	2553	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00
जोड़ - कार्यक्रम कार्यान्वयन	1580.00	2.74	1582.74	1580.00	3.33	1583.33	1580.00	4.02	1584.02	
कुल जोड़	1709.00	190.00	1899.00	1665.00	243.15	1908.15	1809.00	306.27	2115.27	
ग. आयोजना परिव्यय										
विकास शीर्ष	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
केन्द्रीय आयोजना										
1. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	116.10	...	116.10	76.50	...	76.50	206.10	...	206.10
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	12.90	...	12.90	8.50	...	8.50	22.90	...	22.90
जोड़ - केन्द्रीय आयोजना	129.00	...	129.00	85.00	...	85.00	229.00	...	229.00	
राज्य आयोजनाएं										
1. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	43601	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00	1580.00	...	1580.00
कुल जोड़	1709.00	...	1709.00	1665.00	...	1665.00	1809.00	...	1809.00	

1. मंत्रालय और राज्य मंत्री के कार्यालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नीति निर्माण हेतु सांख्यिकी में आंकड़ों के अन्तर को पूरा करने के लिए तैयार किए गए आंकड़ा संग्रहण के उपयुक्त और मूल रूप से संयोजित कार्यक्रम को विकसित करने से संबंधित है। यह अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से अनुपूरक आंकड़े भी संग्रहित करता है और सारणियां भी बनाता है।

3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के लिए प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय लेखाओं के मानकीकरण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों के समेकन तथा प्रकाशन सहित प्रणालीगत कार्य तथा भारत में सांख्यिकीय तंत्र के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी है।

4. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान सांख्यिकी के अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुप्रयोग के एकीकृत कार्यक्रमों का संचालन करता है।

5. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध संस्थागत विकास, सरकारी तथा निजी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और बुनियादी संरचना के निष्पादन प्रबंधन हेतु व्यवस्था की गई है।

6. संगणक केंद्र के लिए व्यवस्था की गई है जो मुख्य रूप से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान किया गया है।

8. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय हेतु प्रावधान है।

9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु प्रावधान किया गया है और इसे राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत योजना में शामिल किया गया है।